

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड

अधिसूचना

28 जुलाई, 2020 ई0

संख्या 6908/IV-122/2020-उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 234 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राजस्व परिषद् राज्य सरकार की पूर्व सहमति से उत्तर प्रदेश भू-राजस्व (सर्वेक्षण तथा अभिलेख संक्रिया) नियमावली, 1978 में अग्रेतर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश, भू-राजस्व (सर्वेक्षण तथा अभिलेख संक्रिया)} (संशोधन)
नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश, भू-राजस्व (सर्वेक्षण तथा अभिलेख संक्रिया)} (संशोधन) नियमावली, 2020 है।

नियम 10 का
संशोधन

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. उत्तर प्रदेश, भू-राजस्व (सर्वेक्षण तथा अभिलेख संक्रिया) नियमावली, 1978 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम

नियम-10 :- सर्वेक्षण या पुनःसर्वेक्षण द्वारा मानचित्र का पुनरीक्षा करने के लिए "रूल्स एण्ड इन्स्ट्रक्शन फार सर्वे आफ विलेजेज" नामक पुस्तक में दिये गये अनुदेशों का पालन किया जायगा। प्रारम्भ में कार्य सर्वेक्षण लेखपाल की सहायता से सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा किया जायेगा।

स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम-10 :- सर्वेक्षण या पुनःसर्वेक्षण द्वारा नक्शे का पुनरीक्षण करने के लिए "गांव का सर्वेक्षण करने के लिए नियम तथा निर्देश" शीर्षक पुस्तक में शामिल निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।

अथवा

इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी तकनीक यथा -

- (1) Differential Global Positioning System (DGPS).
- (2) CORS Station.

(2)

- (3) Electronic Total Station Machine (ETS).
- (4) Digital leveling Machine network based ROR software.
- (5) G.T.S based spatial data porcessing softwre (IGIS software).
- (6) Aerial survey. ByDrone or Air craft/ Air Borne.

अथवा

अन्य किसी समकक्ष तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है।

नियम 14 का 3. मूल नियमावली के स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के संशोधन उप नियम (1) का खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

नियम- 14 क्षेत्रफल निकालना-

(1) ऐसे खेतों, भू-खण्डों और ग्रामों के क्षेत्रफल को जिनका मानचित्र पुनरीक्षित किया जाय, गणना निम्नलिखित रीति से की जायेगी-

(क) सर्वेक्षण या पुनः सर्वेक्षण द्वारा पुनरीक्षित मानचित्र की स्थिति क्षेत्र संचय एरिया कोम्ब द्वारा;

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम- 14 क्षेत्रफल निकालना-

(1) जिन गांव के नक्शे का पुनरीक्षण कर लिया जाय उनके खेतों, प्रखण्डों का क्षेत्रफल निम्नलिखित प्रणाली द्वारा परिवर्कलित लिया जाएगा-

(क) यदि नक्शों का पुनः परीक्षण, सर्वेक्षण द्वारा किया गया हो तो क्षेत्र छत्ता प्रणाली द्वारा,

अथवा

नियम 10 में उल्लिखित तकनीक द्वारा एकत्रित निर्देशांकों के आधार पर गणना द्वारा और

नियम 34 का 4. मूल नियमावली के स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 34 के संशोधन उप नियम (2) का (2) का खण्ड (क) एवं (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख संशोधन दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

नियम- 34 (2) (क) राजस्व और भू-अभिलेख प्रयोजनों के निमित्त दो नीले नक्शों, वस्त्र पर बनी छः प्रतिलिपियां और कागज पर बनी चार

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम-34 (2) (क) राजस्व तथा भू-अभिलेख प्रयोजनों दो नक्शे (blue prints) वस्त्र पर छः प्रतियां तथा कागज पर चार प्रतियां अथवा नक्शे की सॉफ्ट कॉपी / अथवा डिजिटल कॉपी

प्रतिलिपियां

(ख) अन्य विभागों, खातेदारों और जनता को विक्रय के लिए वस्त्र पर बने मानचित्र की चार या अधिक प्रतिलिपियां, यदि सहायक अभिलेख अधिकारी वास्तव में मांगी गयी प्रतिलिपियों के अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करने के पश्चात ऐसा विनिश्चय करें।

(ख) अन्य विभागों, भू-धृतिधारकों तथा जनता को विक्रय के निमित्त वस्त्र की चार प्रतियां या अधिक प्रतियां अथवा सॉफ्ट कॉपी/हार्डकॉपी/डिजिटल कॉपी यदि सहायक अभिलेख अधिकारी वस्तुतः अपेक्षित संख्या में प्रतियों के अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करते हुए ऐसा विनिश्चय करता है।

नियम 35 का 5. मूल नियमावली के स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 35 का संशोधन स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

नियम-35 पुनरीक्षित अभिलेखों का स्वच्छ लेखन-सर्वेक्षण लेखपाल द्वारा अभिलेखों के पुनरीक्षण के दौरान तैयार किये गये अभिलेखों की सहायता से पुनरीक्षित अभिलेख का स्वच्छ लेखन दो प्रतियों में किया जायगा।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम-35 पुनरीक्षित अभिलेखों का स्वच्छ लेखन पुनरीक्षित अभिलेखों का दो प्रतियों में स्वच्छ लेखन अथवा कम्प्यूटर में टंकन अभिलेखों के पुनरीक्षण की अवधि के दौरान तैयार किये गये अभिलेखों की सहायता से किया जायेगा।

आज्ञा से,

बी०एम० मिश्र,

आयुक्त एवं सचिव,

राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

July 28, 2020

No. 6908/IV-122/2020--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 234 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, the Uttarakhand Revenue Board with the prior approval of the State Government to make the following rules for further amend in the Uttar Pradesh Land Revenue (Survey and Record Operation) Rules, 1978:--

**The Uttarakhand {Uttar Pradesh Land Revenue (Survey and Record Operation)}
(Amendment) Rules, 2020**

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand {Uttar Pradesh Land Revenue (Survey and Record Operation)} (Amendment) Rules, 2020
(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 10 2. The Uttar Pradesh Land Revenue (Survey and Record Operation) Rules, 1978 (as applicable to the State of Uttarakhand) (hereinafter referred to as the Principal rule), rule 10 of existing rule as set out in column-1, the rules set out in column-2 shall be substituted, namely-

**Column 1
Existing rule**

Rule 10. Instruction shall be compliance given in the book "Rules and instruction for Survey of Villages" for map and revision through the survey or re-survey. Initial survey shall be done by Kanungo with the help of Lekhpal.

Column 2

Rules here by substituted

Rule 10. Compliance of instruction shall be followed with the book "Title Rule and Instruction for the Survey of Village" for revision of map through survey or re-survey.

or

Approved any technique by the State Government for this purpose, namely-

- (1) Differential Global Positioning Systems (DGPS).
- (2) CORS Station.
- (3) Electronic Total Station Machine (ETS)
- (4) Digital leveling Machine network based ROR software.
- (5) G.T.S based spatial data processing software (IGIS software).
- (6) Aerial survey. By Drone or Air craft/ Air Borne.

Or

Other any technique may be exercise.

Amendment of rule 14 3. In Principal rules for the existing rule 14 as set out in column -1 below, the rule as set out in column -2 shall be substituted, namely:-

Column 1
Existing rule

Column 2
Rules here by substituted

Rule 14. Area extraction:

(1) Such fields, plot and area of village shall be revised the map, calculating through the following manner-

(a) Status of map revised by survey or re-survey through the accumulation area comb.

Rule 14. Area extraction:

(1)The area of the blocks of the village whose maps are revised shall be calculated by the following method:-

(a) If review of map shall be done by survey then through the field hive system considerate.

or

Through the calculating on the bases of collected index by the techniques mentioned in rule 10.

Amendment of 4. rule 34 In Principal rules for the existing rule 34 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1
Existing rule

Column 2
Rules here by substituted

Rule 34(2)(a).

For the purpose of revenue and land records, two blue maps, six copies an four copies on paper.

(b) Four or more copies of the map made on cloth for sale to other department, account holders and public if the Assistant Record Offices actually makes such a decision after considering local requirement in addition to the copies sought.

Rule 34 (2) (a).

For revenue and land record purposes, blue prints on cloth, six copies and four copies on paper or soft copy or digital copy of the map.

(b) Four or more copies of cloth for sale to other departments land holder and the public or soft copy/ hard copy / digital copy if Assistant Records Officer makes such decision considering the local requirement in addition to the actual number of copies required.

Amendment of 5. rule 35 In Principal rules for existing rule 35 as set out in column 1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1
Existing rule

Rule 35. Neat writing survey of revised records- The scrutiny of the revised record shall be done in two copies with the help of the records prepared during the review of the records by the Lekhpal.

Column 2

Rules here by substituted

Rule 35. Neat copies of revised record shall be done in two copies of revised record or prepared with the help of during the revision of typed record in Computer.

By Order,

B. M. MISHRA,
Commissioner and Secretary.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 19-09-2020, भाग 1-क में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 राजस्व/378-03-10-2020-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।